कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/RTE/C/बजट प्रावधान/2017–18/ 48 दिनांक–23/01/18

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा
.... (समस्त)

अत्यावश्यक

विषय–शैक्षिक सत्र 2017–18 की प्रथम किस्त के भुगतान हेतु पुनर्भरण राशि की मांग के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में एन्ट्री लेवल कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों के 25 प्रतिशत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जा रहा है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि **शैक्षिक सत्र 2017–18 की प्रथम किस्त की पुनर्भरण** राशि का भुगतान करने हेतु आवश्यक बजट राशि समेकित प्रस्ताव निम्न प्रारूप में तैयार कर निदेशालय को **31.01.18 से पूर्व केवल ई–मेल (ddrtebknr@gmail.com)** पर आवश्यक रूप से प्रेषित करावें जिससे समय पर बजट राशि आवंटन की कार्यवाही संपादित की जा सके ।

23/01/18
उपनिदेशक (आरटीई)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा..

क्रमांक– दिनांक–

शैक्षिक सत्र 2017–18 प्रथम किस्त ऑफलाईन बजट मांग हेतु प्रपत्र

क्र.सं.	IFMS कोड	जिन विद्यालयों के पास ऑर्डर जारी किये जाने है उन विद्यालयों की संख्या	आवंटित राशि	उपलब्ध बजट राशि	आवश्यक मांग राशि
-Draft-	-Draft-	-Draft-	-Draft-	-Draft-	-Draft-

-draft-
जिशिअप्राशि स्वयं के हस्ताक्षर

जिशिअप्राशि का नाम–...
मो. नंबर–...

नोट–

1. यह केवल उदाहरण मात्र प्रपत्र है, डिमांड प्रेषित करने हेतु जिशिअप्राशि कार्यालय स्वयं के लैटरहेड पर उक्त प्रारूप कंप्यूटर से तैयार कर समस्त सूचना टंकित करने के उपरांत ही निदेशालय में प्रेषित करें । साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए की बजट डिमांड ms word/excel फाईल में अथवा अहस्ताक्षरित पत्र प्रेषित नहीं करें ।
2. जिशिअप्राशि कार्यालय के कार्मिक गलत राशि अंकित कर निदेशालय को प्रेषित करने के उपरांत गलत IFSC कोड को सही करने/बजट आहरित/पुनः बजट आवंटन करने हेतु पत्र प्रेषित करते हैं। किसी भी कारणवश गलत बजट संबंधी आंकडे अगर प्रेषित किये जाते है तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा ।